न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– **02 / 2023**

सुभाष सैनी पुत्र श्री मदनलाल जाति माली निवासी त्रिलोकपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज0)

....................प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये अपर लोक अभियोजक खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

....................अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत वाहन सुपुर्दगी
अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारीलाल बागड़ी	अभिभाषक	प्रार्थी
2. श्री उदयभान सिंह, अपर लोक अभियोजक	अभिभाषक	अप्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक :– 29.08.2023**

उपर्युक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि :–

1. यह कि वाहन पिकअप रजि0 नम्बर आर.जे. 52 जीए–5515 का प्रार्थी पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन उक्त प्रकरण में जप्त है। प्रार्थी का वाहन मुकामी पुलिस द्वारा गलत रूप से जप्त किया गया है। प्रार्थी स्वयं के टेन्ट के जनरेटर हेतु तथा विकास एवं संजय कुमार के ट्रेक्टर हेतु डीजल व पैट्रोल ले कर आ रहा था। प्रार्थी ने अपने उक्त वाहन से अवैध परिवहन नहीं किया है तथा ना ही प्रार्थी उक्त डीजल व पैट्रोल विक्रय हेतु ले जा रहा था।
2. यह कि उक्त जप्तशुदा वाहन प्रार्थी की आय का साधन है। प्रार्थी को वाहन की सख्त आवश्यकता है। जबकि प्रकरण में वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. यह कि प्रार्थी बाद सुपुर्दगी वाहन पिकअप रजि0 न[illegible] आ[illegible] 52 जीए 5515 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा, ना ही [illegible] माननीय न्यायालय द्वारा जब कभी उक्त वाहन को तलब किया जावेगा तो [illegible] के खर्चे से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

4. यह कि प्रार्थी माननीय न्यायालय हाजा के आदेशानुसार सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के उक्त वाहन पिकअप रजि0 नम्बर आर.जे.52 जीए 5515 प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा से प्रकरण में वस्तुस्थिति की जांच रिपोर्ट ली गई। थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट क्रमांक 4434 दिनांक 28.08.2023 के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0142/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जप्त शुदा महिन्द्रा मैक्स पिकअप गाड़ी आर.जे.–52 जीए–5515 के रजिस्टर्ड मालिक श्री सुभाष सैनी को तलब कर उक्त गाड़ी के मूल कागजात रजिस्ट्रेशन, ऑनलाईन इन्श्योरेन्स की प्रति व चालक राजेश का ड्राईविंग लाईसेंस जरिये फर्द जप्ती जप्त किया गया तथा वाहन मालिक को नोटिस अन्तर्गत धारा 133 एमवी एक्ट का दिया जाकर लिखित जवाब प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया गया। मुकदमा हाजा में जप्तशुदा महिन्द्रा मैक्स पिकअप गाड़ी आर.जे.–52 जीए–5515 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है। मुकदमा हाजा में अनुसंधान जारी है।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि महिन्द्रा मैक्स पिकअप गाड़ी आर.जे.–52 जीए–5515 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त है। उक्त वाहन की पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी उक्त वाहन से अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसके लिए प्रार्थी अपने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने में धूप बरसात में खड़े रहने से उसके रंग रोगन उड़ने एवं खराब होने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के अन्त में कथन किया कि प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को उसकी महिन्द्रा मैक्स पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–52 जीए–5515 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

सरकार पक्ष की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की रिपोर्ट क्रमांक 4434 दिनांक 28.08.2023 के अनुसार वाहन महिन्द्रा मैक्स पिकअप गाड़ी नम्बर आर.जे.–52 जीए–5515 के संबंध में अनुसंधान शेष

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

नहीं है। अधिवक्ता सरकार पक्ष ने बहस के अन्त में कथन किया कि जब वाहन से संबंधित अनुसंधान शेष नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के विद्वान योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा की जांच रिपोर्ट के अनुसार वाहन महिन्द्रा मैक्स पिकअप गाडी नम्बर आर.जे.–52 जीए–5515 के संबंध में अनुसंधान शेष नहीं है, तो वाहन को रजिस्टर्ड मालिक को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर पुलिस थाना मेहाड़ा को कोई एतराज नहीं होना चाहिए।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0142/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जप्त शुदा महिन्द्रा मैक्स पिकअप गाड़ी आर. जे.–52 जीए–5515 को उसके रजिस्टर्ड मालिक प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0142/2023 जुर्म अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पुलिस थाना मेहाड़ा में जप्त शुदा महिन्द्रा मैक्स पिकअप गाड़ी RJ 52 GA 5515 को उसके रजिस्टर्ड मालिक प्रार्थी को 3,80,000/– (अंकेही तीन लाख अस्सी हजार रूपये) का जमानतनामा एवं इतनी ही राशि का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की पालना हेतु निर्णय की प्रति सहित थानाधिकारी पुलिस थाना मेहाड़ा के नाम तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:17 IST
Reason: SelfAttested